कैलाश चन्द शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

पत्र संख्याः 199/2024

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी कैलाश पुत्र रामसहाय तथा मन्ना पुत्र रामसहाय की कृषि खसरा भूमि खसरा नम्बर 1316 जो कि ग्राम भांखरोटा कंला, तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह कि खसरा नम्बर 1316 के नक्शे में त्रुटिवश अन्य खसरा जिसका नम्बर 3102/1316 मे जोड दिया गया है जो कि गलत है। जो कि हमारा नही है।	

अतः आपसे निवेदन है कि खसरा नम्बर 1316 मे जुडे हुये उक्त खसरा नम्बर 3102/1316 को नक्शे में से हटाकर दुरूस्तीकरण कराने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में सुना गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी कैलाश पुत्र रामसहाय तथा मन्ना पुत्र रामसहाय की कृषि खसरा भूमि खसरा नम्बर 1316 जो कि ग्राम भांखरोटा कंला, तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह कि खसरा नम्बर 1316 के नक्शे में त्रुटिवश अन्य खसरा जिसका नम्बर 3102/1316 मे जोड दिया गया है जो कि गलत है। जो कि हमारा नही है। अतः आपसे निवेदन है कि खसरा नम्बर 1316 मे जुडे हुये उक्त खसरा नम्बर 3102/1316 को नक्शे में से हटाकर दुरूस्तीकरण कराने की कृपा करे।

बहस प्रार्थीगण एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम भांखरोटा कंला, तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 1316 एवं 3102/1316 के राजस्व नक्शे को पुराने नक्शे के अनुसार दुरूस्त किया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आ[illegible]
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:24:37 IST
Reason: SelfAttested